RCMS/2019/00194

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

मेसर्स टॉक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी	**बनाम**	अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड प्रथम, चित्तौड़गढ़

किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. 159/2019 अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.6.2020	राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्र दिनांक 29.11.2019 से उक्त प्रकरण में पत्रावली स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 की पालना में पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के आदेश दिनांक 23.03.2015 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा–23ए पी.डी.आर.एक्ट, 1952 प्रस्तुत की गई। राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली अधिनियम–1952 (PDR Act) की धारा–23ए अनुसार (A) (i) An appeal from an order made by the collector under section 8 or 10 or section 19(A) shall lie to the R.A.A. उपरोक्त प्रावधानों में जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध ही प्रस्तुत की जानी वाली अपील का क्षेत्राधिकार संबंधित राजस्व अपील अधिकारी को प्रदान किया गया। न ही उक्त अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 से राजस्थान सरकारी मतालबा वसूली अधिनियम–1952 के तहत अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्रदान किया गया है। अतः प्रेषित अपील का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से इस न्यायालय को स्थानान्तरित की गई उक्त पत्रावली पुनः राजस्व अपील अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को लौटाई जावें। प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 09.09.2020 को नियत है।	